

NOTARY DHANBAD

समर्थ: लेख्य प्रमाणक, धनबाद ।

शपथ पत्र



मैं, रवि कान्त सिंह, पिता कमलेश्वर सिंह, उम्र लगभग-41 वर्ष, धर्म-हिन्दू, पेशा-
व्यवसाय, वर्तमान कार्यालय- गणपति टॉवर ललित बिहार कॉलोनी, धैया, पो-0-आई-
एस.एम. थाना धनबाद, जिला-धनबाद, झारखण्ड रतद् द्वारा शपथपूर्वक घोषणा करता
हूँ कि:-

1. यह कि, मैं नेक्सजेन इन्फ्रा हाईटैक्स प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ।
2. यह कि, मैं अपना काम प्रारम्भ होने से पहले लेबर लाईसेंस अपने या मेरे द्वारा
प्रयुक्त ठिकेदार के नाम से लेकर नगर निगम, धनबाद में जमा कर दूँगा।
3. यह कि, इस शपथ पत्र को संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु कर
रहा हूँ।
4. यह कि, इस शपथ पत्र में दर्शाए गए सभी कथन सही एवं सत्य है।

जो श्री रवि कान्त सिंह,
अधिवक्ता, धनबाद के द्वारा
पहचान किया गया।


सत्यापन

उपरोक्त लिखित सारी बातें सही एवं सत्य है,
जिसे आज दिनांक-4.2.2023 को अपना
हो बना दिया।

Ravi Kant Singh

शपथकर्ता,

N. K. Singh
अधिवक्ता 12/2



NOTARY
DHANBAD

धनबाद
4.2.2023
Section 7 (c) of the Cr. P.C. 1973
(Act No 11 of 1974) & s/s (3) (i)
of the Notaries Act 1952
(Act No 53 of 1952)

S: NO. 02. Date: 01 FEB 2023

04 FEB 2023

NOTARY
DHANBAD

समर्थ: लेख्य प्रमाणक, धनबाद।

शपथ पत्र



S: NO. 09 Date: 04.02.2023

मैं, रवि कान्त सिंह, पिता कामेश्वर सिंह, उम्र 41 वर्ष, धर्म-हिन्दु, पेशा व्यवसाय, वर्तमान कार्यालय- गणपति टॉवर ललित बिहार कॉलोनी, देया, पो0-आर्डी. एस्. एम. धाना-धनबाद, जिला-धनबाद, झारखण्ड एतद् द्वारा शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि:-

1. यह कि, मैं नेक्सजेन इन्फ्रा हाईटैक्स प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ।
2. यह कि, नगर निगम, धनबाद से नक्शा पास हो जाने पर पी.एफ. नम्बर जमा कर दूंगा।
3. यह कि, इस शपथ पत्र को संबंधित पदाधिकारी के समर्थ प्रस्तुत करने हेतु कर रहा हूँ।
4. यह कि, इस शपथ पत्र में दर्शाए गए सभी कथन सही एवं सत्य है।

जो श्री रवि कान्त सिंह,

अधिकता, धनबाद के द्वारा पहचान किया गया।

सत्यापन


उपरोक्त लिखित सारी बातें सही एवं सत्य हैं, जिसे आज दिनांक-4.2.2023 को अपना हे0 बना दिया।

Ravi Kant Singh

शपथकर्ता,

(Signature)
अधिकता
4/2/23

लेख्य प्रमाणक, धनबाद।



NOTARY
DHANBAD

Authorized
Section 7 (c) of the Cr. P.C. 1973
& s (B) of the Notaries Act 1952
(Act No 52 of 1952)

4.2.2023